उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0–10/2020–21

प्रयाग दर्वे

बनाम्

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक	
16/01/21	नोटिश देने के बाद भी निर्धारित तिथि को बार–बार पुकार पर भी उत्तरवादी अनुपस्थित रहे, जिस कारण से अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रयाग दर्वे, पे0–स्व0 डोमन दर्वे, सा0–समरूआ पटवा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के आवदेन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने मौजा–मोतिया जमाबंदी सं0–81 के अन्तर्गत अर्जित रकवा 0.52 एकड़ जमीन का शेष मुआवजा राशि का भुगतान हेतु अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मोतिया के जमाबंदी सं0–81 रकवा 02–03–07 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत डोमन दर्वे वो अकलू दर्वे के नाम से दर्ज है। दोनों जमाबंदी रैयत ने बहुत पहले उक्त जमाबंदी की जमीन का आधा–आधा बँटवारा कर लिया है। जिसके अनुसार 01–01–13 1/2 धुर जमीन जमाबंदी रैयत डोमन दर्वे को प्राप्त हुआ। आवेदक एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष जमाबंदी रैयत डोमन दर्वे के वंशज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत रकवा 0.685 एकड़ जमीन जो आवेदक एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष की जमीन है, को अडाणी पावर प्लांट के द्वारा अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहित जमाबंदी रैयत डोमन दर्वे के पाँचों पुत्रों के बीच 1/5 के अनुसार मुआवजा का भुगतान करने के लिए आदेश दिया गया। उनका आगे कथन है कि ईश्वर दर्वे के वंशज विपक्षी सं0–01 से 04 को 0.172 एकड़ एवं विपक्षी सं0–05 से 07 को 0.171 एकड़ और उसी तरह विपक्षी सं0–08 से 11 तक को रकवा 0.172 एकड़ जमीन का मुआवजा दिया गया। जबकि आवेदक को रकवा 0.086 एकड़ तथा विपक्षी सं0–12 को रकवा 0.086 एकड़ जमीन का मुआवजा दिया गया। इस प्रकार आवेदक एवं विपक्षी सं0–12 को कम भुगतान किया गया है। जबकि जमाबंदी रैयत डोमन दर्वे के वंशजों में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बराबर भुगतान होना चाहिए। इसलिए आवेदक एवं विपक्षी सं0–12 अडाणी पावर

प्लांट से रकवा 0.52 एकड़ जमीन का मुआवजा पाने के लिए हकदार है। उन्होंने अधिग्रहित जमीन रकवा 0.52 एकड़ जमीन का मुआवजा राशि भुगतान हेतु अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा का पत्रांक–635/भू0अ0 दिनांक–25.05.2021 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मोतिया जमाबंदी नं0–81 अन्तर्गत भूमि अडाणी पावर लिमिटेड, गोड्डा हेतु अर्जन किया गया है। अर्जन की जाने वाली भूमि का सत्यापन अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–727/रा0 दिनांक–11.05.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री प्रयाग दर्वे, पिता–स्व0 डोमन दर्वे, अडाणी पावर लिमिटेड, गोड्डा के 2x800MW ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु मौजा–मोतिया जमाबंदी नं0–81 के अंदर रकवा 0.085 एकड़ जमीन हिस्से में पड़ता है। घोषित एवार्ड के अनुसार कुल राशि–244170.00 रू0 RTGS के माध्यम से दिनांक–08.12.2017 को भू–मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है। आवेदक का आवेदन चलने योग्य नहीं है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मोतिया थाना नं0–301 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–81 दाग नं0–2567 गत सर्वे पर्चा एवं पंजी–2 में डोमन दर्वे वो अकलु दर्वे, पे0–असरफी दर्वे कौम सुड़ी साकिन पटवा के नाम से अंकित है। उक्त जमाबंदी अन्तर्गत दाग नं0–2567 रकवा 1.37 एकड़ जमीन अडाणी पावर प्लांट (झारखण्ड) लिमिटेड के 2x800MW तापीय विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहण की गई है। आवेदक का कथन है कि वे डोमन दर्वे के वंशज हैं और अधिग्रहित जमीन में से मुआवजा की राशि जमाबंदी रैयत के अन्य वंशज के तुलना में कम मुआवजा की राशि दिया गया है। जबकि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी नं0–81 के अंदर अधिग्रहित कुल रकवा 1.37 एकड़ जमीन में से 0.085 एकड़ जमीन आवेदक प्रयाग दर्वे के हिस्से में पड़ता है और उसी अनुरूप घोषित एवार्ड का भुगतान कर दिया गया है। विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि आवेदक का आवेदन चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज करते हुए प्रक्रिया समाप्त किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:36:20 +05:30
Location: 192.168.29.8